अतिक्रमण – अनधिकृत निर्माण

संख्याः 902/9–आ–1–98

प्रेषक,
श्री अतुल कुमार गुपता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरणए
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 23 मार्च,1998

विषय, विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटियों को आवंटित सम्पत्तियों का समय से कब्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आपसे कहने का निर्देश हुआ है कि शासन को अनेक शिकातयें प्राप्त हो रही है कि आवंटियों द्वारा समय से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त भी उन्हें आवंटित भवन/भूखण्डों तथा व्यवसायिक सम्पत्तियों का कब्जा नहीं मिल पाता है जिसके लिए उन्हें विकास प्राधिकरणों के बारम्बार भाग–दौड़ करनी पड़ती है फिर भी उन्हें कब्जा नहीं मिल पा रहा है।

2. आप सहमत होंगे कि आवंटी इस आशा में कि उसे रहने के लिए आवास उपलब्ध हो जायेगा। विकास प्राधिकरणों में सम्पत्ति के आवंटन के लिए निबन्धन कराता है, वांछित धनराशि भी भवन/भू खण्डों के लिए जमा करता है, परन्तु ऐसा देखने में आ रहा है कि उन्हें समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त भी कब्जा नहीं मिल पा रहा है।

3. उपरोक्त समस्त कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41(1) के अन्तर्गत यह निदेशित किया जाता है कि ऐसे आवंटी जिनके द्वारा आवंटित परिसम्पत्ति की समस्त औपचारिकतायें नियमानुसार पूर्ण कर लिया गया है परन्तु फिर भी उन्हें प्राधिकरण की त्रुटि अथवा उदासीनता के कारण आवंटित सम्पत्ति का कब्जा नहीं दिया गया है, उन्हें औपचारिकतायें पूर्ण करने के एक माह के अन्दर यदि उन्हें कब्जा नहीं मिल पाता है तो एक माह के उपरान्त वासवविक कब्जा देने की तिथि से मध्य अवधि तक का सामान्य ब्याज देने का उत्तरदायित्व विकास प्राधिकरणों का होगा। आप सहमत होंगे कि विलम्ब के लिए प्राधिकरण के कर्मचारी/अधिकारी ही जिम्मेदार होते हैं। अतएव मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस प्रकार के आवंटित परिसम्पत्तियों का कब्जा देने में हुए विलम्ब के लिए यदि प्राधिकरण का कोई कार्मिक दोषी है एवं उक्तानुसार आबंटियों को कब्जा के रूप में भुगतान किया गया तो उस धनराशि की वसूली काउत्तरदायित्व निर्धारित कर कर्मचारी/अधिकरी से वसूल किया जाये। किसी कर्मचारी/अधिकारी से किस अनुपात में धनराशि की वसूली की जाये। इसका निर्धारण उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने विवेक से किया जायेगा।

4. मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि तद्नुसार निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्याः 902(1)/9–आ–1–98 तददिनांक

प्रतिलिपि अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

राम वृक्ष प्रसार
संयुक्त सचिव

संख्याः 5878 / 9—आ—1—1997

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर निगमों के मुख्य नगर अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
मसूरी / देहरादून / मुजफ्फरनगर / हापुड़ / पिलखुआ /
मथुरा / वृन्दावन / बांदा / रायबरेली / नैनीताल।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—1 लखनऊः 08 दिसम्बर, 1997

विषयः नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि, मार्गो आदि से अतिक्रमण और बाधा हटाना एवं अतिक्रमण और बाधा न होने देना।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 में उक्त विषय की बढ़ायी गइ धारा 26क, 26ाख,26ग, 26घ, और26 ध तथा सुसंगत धाराओं के मुद्रित उद्धहरण संलग्न करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस विषय पर थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिये जाने तथा धानाध्क्षों को उत्तर दायी बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव गृह पुलिस विभाग द्वारा पुलिस महानिदेशक को दिये गये आदेश दिनांक 30.09.97, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को जारी किये गये आदेश दिनांक 26.10.97 तथा मेरे द्वारा पुनः प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन गृह विभाग को लिखे गये अर्द्धशासकीय पत्रांक 3958 / 9—आ—3—97, दिनांक 28.11.97 की फोटो प्रतियां यथास्थिति विकास प्राधिकरण, नगर निगम अथवा नगर पालिका परिषद द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संलग्न है। यह अनुरोध है कि प्रत्येक अतिक्रमण के प्रकरण में अविलम्ब स्थानीय थानाध्यक्षों को सूचित करने और पुलिस के माध्यम से यथेष्ट कार्यवाही तुरन्त सुनिश्चित कराने और कृत कार्यवाही से शासन को भी यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अवैध निर्माण व अतिक्रमण के विरूद्ध दण्डात्मक प्राविधानों के उद्धरण

शस्तियाँः– 26–(1) कोई व्यक्ति जो चाहे स्वप्रेरणा पर या किसी अन्य व्यक्ति अथवा (सरकार के विभाग सहित) किसी निकाय की प्रेरणा पर किसी भूमि का विकास–कार्य, महायोजना के या परिक्षेत्रीय विकास योना का उल्लंघन करके अथवा धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मन्जूरी के बिना अथवा सेसी किसी शर्त का उल्लंघन करके जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन य मंजूरी दी गई है, लेगा या कार्यान्वित करेगा, वह जुर्माने से जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान ऐसा अपराध उस अपराध के प्रथम बार किय`जाने के लिये दोषसिद्धि के प्श्चात जारी रहता है दो हजार पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

2. कोई व्यक्ति जो किसी भवन या भूमि का प्रयोग धारा–16 के उपबन्धों का उल्लंघन करके अथवा उस धारा के अधीन विनियमों द्वारा विहित किन्ही निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करके करेगा वह जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध उस अपराधवार कि जाने के लिये दोष सिद्धि के पश्चात जारी रहता है एक हजार दो सौ पचास रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

3. कोई व्यक्ति जो धारा 25 के अधीन किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के प्रवेश में बाधा डालेगा अथवा ऐसे प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

सार्वजनिक भूमि पर अधिक्रमण या बाधा

26–क–1. जो कोई किसी विकास क्षेत्र में, किसी भूमि पर, जो निजी सम्पत्ति न हो, चाहे सार्वजनिक भूमि पर उक्त भूमि प्राधिरकण की हो या उसमें निहित हो या न हो, अधिक्रमण या बाधा किसी सार्वजनिक मार्ग की नाली पर सीढ़ियों को छोड़कर, अधिक्रमण करता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो बीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

नई धारा 26–क, 26ख 26ग और 26घ

2. उप धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

3. जो कोई किसी विकास क्षेत्र में किसी मार्ग या भूमि पर, जो निजी सम्पत्ति न हो, चाहे उक्त मार्ग या भूमि, प्राधिकरण की हो या उसमें निहित हो याा न हो, किसी सार्वजनिक मार्ग की नाली पर सीढ़ियाँ या किसी सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक सीान पर भवन निर्माण सामग्री ऐसी अवधि के दौरान रखने जिसकी अनुमति अम्बार फीस के भुगतान पर दी गयी हो को छोड़कर भवन निर्माण सामग्री या अन्य कोई चीज रखकर या जमा करके याा अन्य किसी प्रकार कोई बाधा पहुंचाता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

4. यदि यह विश्वास करने का आधार हो कि किसी व्यक्ति ने किसी विकास क्षेत्र में किसी भूमि पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, कोई अधिक्रमण किया है या बाधा पहुंचायी है तो प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी अधिक्रमण करने वाले या बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति से यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील करेगा कि उससे, पन्द्रहदिन से अन्यून ऐसी अवधि जैसी कि नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, के भीतर अधिक्रमण या बाधा हटाने की अपेक्षा क्यों न की जाय और ऐसे व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के प्श्चात् लिखित रूप में अभिलिखित किये गये कारणों सहित ऐसे अधिक्रमण या बाधा को हटाने का आदेश दे सकता है।

परन्तु उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पूर्व निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भूमि पर जैसी विहित की जाय, पुनर्वास करने के लिए आनुकल्पिक भूमि या बास–सुविधा प्रस्तावित न कर दी जाय।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद–

(1) ''निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :–

(क) जिसके कुटुम्ब के पास उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित किसी नगर में या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1996 में यथा परिभाषित किसी नगर पालिका क्षेत्र में कोई सीवर सम्पत्ति न हो, और

(ख) जिसकी जीविका का मुख्य साधन स्वयं अपनाया अपने कुटुमब के सदस्य का शारीरिक श्रम है, जिसमें किसी शिल्प का व्यवसाय भी सम्मिलित है, और इसमें रिक्शा चालक या सफाईकार भी सम्मिलित है किन्तु इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जिस पर आयकर अधिनियम, 1959 के अधीन बिक्रीकर निर्धारित किया गया है।

2. निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में ''कुटुम्ब'' का तात्पर्य यथास्थिति, पति या पत्नी और दोनों में से किसी एक या दोनों के अविवाहित अवयस्क सन्तान से है।

5. पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को इस धारा में यथा उपबन्धित कार्यवाही करने के साथ–साथ इस धारा में निर्दिष्ट भूमि पर पायी गयी या यथास्थिति, ऐसी भूमि से संलग्न या ऐसी भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुइ किसी सम्पत्ति को कुर्क या अभिग्रहीत करने की शक्ति भी प्राप्त होगी।

6. जब प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कोइ सम्पत्ति अभिग्रहीत या कुर्क की जाय तो वह ऐसे अभिग्रहण या कुर्की की सूचना तुरन्त प्राधिकरण को देगा।

7. प्राधिकरण अभिग्रहण की कार्यवाही के समाप्त होने तक अभिग्रहीत या कुक की गयी सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा के लिये ऐसा आदेश, जैसा वह उचित समझे कर सकता है और यदि वह सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, जो प्राधिकरण उसके विक्रय या उसका अन्यथा व्ययन किये जाने के लिये आदेश कर सकता है।

8. जब किसी सम्पत्ति का यथा उपर्युक्त विक्रय किया जाता है, तो उसे विक्रय से सम्बन्धित व्ययों, यदि कोई हो, और अन्य आनुषंगिक व्ययों की कटौती करने के प्श्चात विक्रय आगम का –

(क) जब प्राधिकरण द्वारा अधिकरण का आदेश अन्ततः पारित न किया जाय, या

(ख) अपील में पारित किसी आदेश द्वारा यह अपेक्षा की जाय।

भुगतान उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसको अभिग्रहित या कुर्क किया गया हो, कर दिया जायेगा।

9. जहां उप–धारा (5) के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की की जाय तो प्राधिकरण ऐसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकता है।

10. उपधारा (9) के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा तब तक कि ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या उस व्यक्ति, जिससे उसको अभिग्रहीत या कुर्क किया गया हो, को ––

(क) उन आधारों, जिन पर सम्पत्ति का अधिहरण प्रस्तावित हो, की सूचना देते हुए लिखित रूप में एक नोटिस न दे दी जाय,

(ख) ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, अधिहरण के आधारों के विरूद्ध एक लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर न दिया जाय, और

(ग) इस विषय में सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

(11) इस धारा के अधीन अधिहरण का कोई आदेश किसी ऐसे दण्ड के अधिरोपण में, जिसका इससे प्रभावित व्यक्ति अधिनियम के अधीनदायी हो, बाधक न होगा।

(12) उप–धारा (9) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश के उसे संसूचित किय`जाने के दिनांक कसे एक मास के भीतर, जिला जज को उसके विरूद्ध अपील कर सकता है।

(13) ऐसी अपील पर जिला जज, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के प्श्चात ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसको वह उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, की पुष्टि उपन्तरण या अपास्त करने के लिये उचित समझे और अपील लम्बित रहने तक उस ओदश का कार्यान्वयन, ऐसी शर्तों पर यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

धारा 26–क, के अधीन हटाये जाने के लिए प्रतिकार का दावा

26–ख–1. धारा 26–क की उपधारा (4) के अधीन बाधा या अधिक्रमण हटाये जाने से व्यथित व्यक्ति बाधा या अधिक्रमण हटाये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर या तो प्राधिकरण या बाधा या अधिक्रमण हटाये जाने का आदेश देने वाले अधिकारी या दोनों के विरूद्ध अधिकरण के समक्षे प्रतिकर या प्रत्यास्थापन या दोनों के लिए और ऐसे हटाये जाने के कारण उसे हुई हानि के लिए ऐसे अधिकारी को वैयक्तिक रूप से दायी ठहराने के लिए दावा कर सकता है।

2. इस धारा के प्रयोजनों के लिए धारा 26–क की उपधारा (4) में यथा उपबन्धित अधिक्रमण या बाधा के हटाये जाने वाले क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला जिला जज, अधिकरण होगा।

3. किसी प्रतिकर के भुगतान के लिये या किसी अचल सम्पत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए अधिकरण का प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिग्री समझी जायेगी और उसी यप में उसका निष्पादन होगा :

परन्तु यदि अधिकरण किसी अधिकारी के विरूद्ध वैयक्तिक रूप से प्रतिकर अधिनिर्णित करता है, तो प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह सम्बन्धित अधिकारी के वेतन या अन्य देयकों से प्रतिकर की धनराशि वसूल करे और उसका भुगतान दावेदार को करें।

(4) अधिकरण की कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा।

(5) अधिकरण को इस धारा के अधीन किसी दावे का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिये वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में, किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्ययालय में निहित होती है, अर्थात

(क) किसी व्यक्ति को समन करने और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने,
(ख) शपथ–प्त्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने।
(ग) किसी अचल सम्पत्ति या उसके परिक्षेत्र का निरीक्षण करने या साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा या स्थानीय अन्वेषण केलिये कमीशन जारी करने।
(घ) दस्तावेजों को प्रकट करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने,
(ङ) किसी विधिपूर्ण करार, समझौता या पुष्टि को अभिलिखित करने और तदनुसार आदेश देने,
(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।
(6) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

26–ग प्राधिकरण या उसके द्वारा यह निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी बिना नोटिस दिये निम्नलिखित को हटा सकता है :–
प्राधिकरण किसी ऐसी वस्तु को जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके निर्मित की जाय या जमा की जाय, बिना नोटिस के हटा सकता है।
(क) कोई ऐसी दीवाल, मेड़, कठघरा, खम्भा, सीढ़ी, छप्पर या अन्य ढांचा चाहे वह स्थिर हो या चल और चाहे वह स्थायी प्रकार का हो या अस्थायी या कोई ऐसा स्थापक जो किसी सड़क में या उसके उपर या किसी खुली नाली, पनाली, कुएं या तालाब पर या उसके ऊपर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल निर्मित या संस्थापित किया जाय।
(ख) कोई दुकान, कुर्सी, बेंच, बक्स, सीढ़ी सामान का गट्ठर तख्ता याअलमारी या अन्य कोई भी वस्तु जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके किसी सीान पर रखी गयी हो, किसी सीान में जमा की गई हो, किसी सीान से बाहर निकली हो, किसी सीान से संलग्न हो या किसी सीान पर लटका दी गयी हो।

अधिक्रमण न रोकने के लिए शासित :– 26–घ– जो कोई, जिसे इस अधिनियम याकिसी अन्य अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन अधिकगमणया बाधा को रोकने या निवारित करने का कर्तव्य विशेष रूप से सौंपा गया है, ऐसे अधिक्रमण या बाधा को, रोकने या निवारित करने से स्वेच्छापूर्वक या जानबूझकर उपेक्षा करता है, या जानबूझकर छोड़ देता हे तो उसक साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जूर्मान से जो दस हजार रूपये तक का हो ककेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।''

सदस्यों और अधिकारीयों का लोक सेवक होना।

47. प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी और अनय कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा।

न्यायालायों की अधिकारिता

48. प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अभियोजन की मंजूरी

49. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये अभियोजन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या उस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित किया जायेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए परित्राण

50. इस अधिनियम या तदधीन बनायेगये किसी नियम अथवा विनियम के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई भी बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी।

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–5

संख्या : 2611/9–आ–5–1997

लखनऊ : दिनांक 23 जून, 1997

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल, नवीन धारा 26–घ के प्रयोजनार्थ, यह निदेश देते हें कि विकास प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन भूमि पर अतिक्रमण रोकने और अतिक्रमण न होने देने के लिये म्निलिखित अधिकारी उत्तरदायी होंगे :–

(1) सम्बन्धित सहायक अभिन्यता का प्राथमिक उत्तरदायित्व।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का प्राथमिक उत्तरदायित्व यदि किसी अवर अभियन्ता की प्राथमिक उत्तरदायित्व न दिया गया हो, अन्यथा सुपरवाइजरी उत्तरदायित्व।

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का प्राथमिक उत्तरदायित्व यदि किसी सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को प्राथमिक उत्तरदायित्व न दिया गया हो, अन्यथा ''सुपरवाइजरी उत्तरदायित्व''।

(4) सम्बन्धित सुयुक्त सचिव का सम्मिलित सुपरवाइजरी उत्तरदायित्व।

2. श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिकारीयों द्वारा अवहेलना की दशा में उनके विरूद्ध धारा 26–घ के अन्तग्रत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण अथवा उपरोक्त इंगित अधिकारी अपने अधीन किसी भी अधिकारी को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा भी उपरोक्त उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्याः 2611(1)/9–आ–5–97, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4. आवास विभाग के समस्त अधिकारी और अनुभाग अधिकारी।

आज्ञा से,

राजकुमार सिंह
अनुसचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–5

संख्या : 1502/9–आ–2–1997

लखनऊ : दिनांक 23 जून, 1997

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1965 की धारा 92 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल, नियंत्रणाधीन भूमि पर अतिक्रमण रोकने और अतक्रमण न होने देने के लिये निम्नलिखित अधिकारी उत्तरदायी होंगे :–

(1) सम्बन्धित सहायक अभिन्यता का प्राथमिक उत्तरदायित्व।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का प्राथमिक उत्तरदायित्व यदि किसी अवर अभियन्ता को प्राथमिक उत्तरदायित्व न दिया गया हो, अन्यथा सुपरवाइजरी उत्तरदायित्व।

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का प्राथमिक उत्तरदायित्व यदि किसी सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को प्राथमिक उत्तरदायित्व न दिया गया हो, अन्यथा ''सुपरवाइजरी उत्तरदायित्व''।

(4) सम्बन्धित आयुक्त का सम्मिलित सुपरवाइजरी उत्तरदायित्व।

2. श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिकारीयों द्वारा अवहेलना की दशा में उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3. आवास आयुक्त अथवा उपरोक्त इंगित अधिकारी अपने अधीन किसी भी अधिकारी को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा भी उपरोक्त उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्याः 2611(1)/9–आ–5–97, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास/लोक निर्माण विभाग।
4. आवास विभाग के समस्त अधिकारी और अनुभाग अधिकारी।

आज्ञा से,

राजकुमार सिंह
अनुसचिव

संख्याः 4866 / 9—आ—1—1997

प्रेषक,
श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, आवास
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1.समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आवास अनुभाग—1 लखनऊः दिनांक 03 सितम्बर, 1997

विषयः अतिक्रमण विरोधी अभियान का संचालन।

महोदय,

यथा संशोधित उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अतिक्रमण हठाओं अभियान के कार्यान्वयन में यह अनुभव किया जा रहा है कि शासन की नीति के अनुरूप अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अपेक्षा के अनुरूप सम्पादित नहीं करवायी जा पा रही है। प्रायः देखने में आया है कि बिना स्थानीय जनता को विश्वास में लिये यह योजना अमल में लायी जाती है जिसके कारण भारी आक्रोश का सामना करना पड़ता है तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्य भी सम्पादित नहीं हो पाता। इस स्थिति का ध्यान में रखते हुए निम्न कार्य योजना तैयार की गयी है।

1. अतिक्रमण हटाओं अभियान प्रारम्भ करने से पूर्व सभी स्थानीय जल प्रतिनिधियों की एक बैठक आहूत की जाय जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, नगरपालिका के प्रतिनिधि भी बुलाये जायें तथा बैठक में अतिक्रमण से होने वाली यातायात असुविधा तथा अन्य प्रकार की कठिनाईयां, जैसे नालियों के बन्द होने का कारण, जलभराव की समस्या, प्रदूषण उत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी व इसके उपाय हेतु बनवाये गये अधिनियम क जानकारी तथा अभियान की रणनीति पर खुली चर्चा (Open Doscissopm) करवायी जाये। उक्त बैठक में जन प्रतिनिधियों के साथ—साथ प्रशासनिक व अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारीयों को भी आमंत्रित किया जाय जिससे किसी प्रकार की भ्रांति न रह जाय।

2. बैठक के आधार पर यथासम्भव सर्वसम्मति से एक अभियान के कियान्वयन हेतु नीति तैयार की जाय जिसका बड़े पैमाने पर समाचार प्त्रों के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार किया जाय। अभियान को प्रारम्भ करने से लगभग 10—15 दिन पूर्व समाचार प्त्रों में विज्ञप्ति छपवायी जाय तथा सील पर स्थानीय अभियन्ताओं की मदद से निशान लगवाये जाये। इस प्रकिया के पूर्ण होने पर वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाकर सील का निरीक्षण किया जाय ताकि लोगों की शंकाओं / प्रतिवेदनों / शिकायतों का मौका पर ही समाधान कर दिया जाय तथा जनता को इस बात के लिये प्रेरित किया जाय कि निर्माणकर्ता निर्धारित समय में स्वयं अतिक्रमण हटा लें। यदि निर्धारित अवधि में स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति के उपरान्त एक अभियान के रूप में प्रमुख मार्गों से योजना की शुरूआत की जाये। प्रत्येक दिन के लिये निर्धारित सड़क का पूर्ण अतक्रमण हटाने के बाद ही दूसरी सड़क को प्रारम्भ किया जाय। बिना किसी व्यक्ति के प्रभाव में आये स्पष्ट नीति अपनाते हुए समस्त अतिक्रमण हटवा दिये जाय तथा इस अतिक्रमण को हटाने में आये व्यय को सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता से वसूला जाये।

3. इस बात का ध्यान रखा जाय कि अभियान का लक्ष्य अतिक्रमण हटाना है न कि किसी को नुकसान पहुंचाना। इसीलिये यह आवश्यक है कि अतिक्रमण हटाने के कार्यक्रम में कोई अचानकता ;नतचतपेमद्ध न हो, तरन् कार्यक्रम की पूर्व जानकारी हो, जिससे अतिक्रमणकर्ता यदि चाहें तो स्वयं अपना अतिक्रमण हटा सकें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संलग्नकः उपराक्तानुसार।

अर्द्ध0 शा0 पत्रांकः 3958/9–आ–3–97

अतुल कुमार गुप्ता
आई.ए.एस.

सचिव
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊ 226 001
दिनांक 28 नवम्बर, 1997

महोदय,नगरी क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि, मार्गों आदि पर अतिक्रमण को रोकने व हटाने के विषय में विस्तृत निर्देश मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 1773/9–आ–1–1995 दिनांक 18 मई, 1997 तथा पत्र संख्याः 1151/9–आ–3–97 दिनांक 31 मार्च, 1997 द्वारा पूर्व में जारी किये गये तथा समय–समय पर आवास विभाग द्वारा भी इस सम्बन्ध में विस्तृत निद्रैश विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों व विनियमित क्षेत्रों को जारी किये गये हैं।

2. उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26–क (2) के अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कोक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। सार्वजनिक भूमि एवं सड़कों पर अतिक्रमण को हटाने की प्रभावी कार्यवाही विकास प्राधिकरणों व नगर निगमों द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है किन्तु मुख्य कठिनाई यह हो रही है कि अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत पुलिस सहायता के लिए अनुरोध करने पर पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा–26–क के अन्तर्गत विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध दिनांक 31.10.1997 तक 591 (विवरण संलग्न) एफ0आई0आर0 थानों में दर्ज कराये गये हैं किन्तु उनके विरूद्ध अब तक अग्रसर कोई पुलिस कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है जिसकी वजह से इस कानून का कोई असर अवेध कब्जेदारों पर नहीं पड़ रहा हैं आवश्यक हे कि इन एफ0आई0आर0 पर प्रभावी कार्यवाही हो, जिसकी समीक्षा उच्च स्तर पर नियमित रूप से हो।

3. उक्त अधिनियम की भी धारा–26घ के अन्तग्रत ऐसे अधिकारियों के दण्ड की भी व्यवस्था की गई है, जिन्हें वार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख सचिव गृह के निर्देशें के अन्तग्रत शहरी क्षेत्रों में साग्रजनिक सड़क, पार्कों व नालों पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानाध्यक्षों को भी उत्तरदायी बनाया गया है। इसे प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

4. इस सम्बन्ध में मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा हुई है कि कृप्या अपने स्तर से पुलिस महानिदेशक तथा जिला मजिस्ट्रटों को निम्न बिन्दुओं पर कड़े निर्देश जारी करने का कष्ट करें। जारी किये गये निर्देशों प्रतिलिपि आवास विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(i) अतिक्रमण हटाओं अभियान के लिए पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय से प्र्याप्त पुलिस बल व मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराया जाय।

(ii) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26–क के अन्तग्रत सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 पर समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही व उसकी अच्चस्तरीय समीक्षा।

(iii) शहरी क्षेत्र में सड़क पार्कों आदि प्रमुख सार्वजनिक सीलों पर अतिक्रमण होने की दशा में सम्बन्धित थानाध्यक्षों के विरूद्ध उपरोक्त अधिनियम की धारा 26–घ के अन्तर्गत कार्यवाही।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

श्री राजीव रतन शाह,
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रिय,
उपरोक्त की प्रतिलिपि वार्तानुसार पृष्ठांकित है

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

श्री राकेश शर्मा,
स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रत्रांकः 4597च/97

श्रीराम अरूण

Sri Ram Arun

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001
DIRECTOR GENL. OF POLICE UTTAR PRADESH
1- TILAK MARG, LUCKNOW-226001

दिनांकः अक्टूबर, 26 1997

प्रिय महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम–1997, 2 मार्च से लागू हुआ। इस अधिनियम के सम्बन्ध में अपर महानिदेशक (अपराध) के प्त्र संख्या डीजी–सात–107–(148)–97 दिनांक 13.06.97 द्वारा आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया गया था। खेद का विषय हे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत थाना स्तर पर समुचित कार्यवाही नहीं हुइ जिस कारण इस अधिनियम का प्रभाव परलिक्षित नहीं हो रहा है।

2. इस अधिनियम की एक–एक प्रति आप कृप्या समस्त थानाध्यक्षों को नुनः उपलब्ध करा दें तथा उनका ध्यान इस अधिनियम की धारा 26–घ जिसका उद्धहरण नीचे दिया जा रहा है, की और विशेष रूप से आकृष्ट कर दें।

अतिक्रमण न रोकने के लियेशासित — 26–घ जो कोई, जिसे इस अधिनियम की किसी अन्य अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन अतिक्रमण या बाधा को रोकने या निवारित करने से स्वेच्छापूर्वक या जानबूझ कर उपेक्षा करता है, या जानबूझ कर छोड़ देता है तो उसे साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जर्मान से जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

3. उपरोक्त प्राविधानों के सम्बन्ध में स्थित निम्नवत् स्पष्ट की जाती है :–

(i) सार्वजनिक मार्ग, फूटपाथ और सार्वजनिक पार्कों में यदि अतिक्रमण हो रहा है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी थानाध्यक्ष पर होगी। अतिक्रमण को हटाने और यदि अतिक्रमण हो रहा है तो उसमें हस्तक्षेप करके निर्माण कार्य को रूकवाने ओर उसको भौतिक रूप से हटवाने के लिए स्थानीय निकाय आदि के अधिकारियों से सम्पर्क करने का उत्तरदायित्व थानाध्यक्ष का होगा।

(ii) प्रत्येक नगरीय थाने के अधिकार क्षेत्र भीतर राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की जो सम्पत्ति है उसकी सुरक्षा के विषय में थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सीधे नहीं होगी पर यदि अतिक्रमण की शिकायत थाने में दज्र कराई जाती है तो थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायत सुरन्त दर्ज की जाये और उस पर त्वरित प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन न करने की अवस्था में उन पर अभियोजन चालाया जा सकता है। अथवा दोष सिद्ध होने पर दस हजार रूपये अर्थदण्ड अथवा एक मास के कारावास के दण्ड का भी प्राविधान है।

4. शासन इस मामले में कार्यवाही हेतु अत्यन्त गम्भीर है आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप कृप्या तत्काल सम्बन्धित थानाध्यक्षों– विशेषकर नगरीय थानाध्यक्षों को सचेत कर कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा उसका अनुश्रवण करते रहें। अवैध अवरोध हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही न केवल की जय बल्कि सम्बन्धित प्राधिकरणों से मिल कर इस प्रकार की जाय कि उसके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दें।

भवदीय,

श्रीराम अरूण

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद, उ0प्र0
समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे, उ0प्र0
उत्तर प्रदेश शासन।
प्रिय महोदय

उपरोक्त की प्रतिलिपि आपका इस आशय से प्रेषित है कि आप कृप्या अपने परिक्षेत्र/जोन में इन आदेशों का कड़ाई से पालन करायें तथा परिणामों की समीक्षा भी करते रहें।

ससद्भाव।

भवदीय,

श्रीराम अरूण

समस्त पुलिस अपमहानिरीक्षक,
परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेलवेज,
लखनऊ/इलाहाबाद।

समस्त पुलिस महानिरीक्षक,
जोन, उत्तर प्रदेश।
पुलिस महानिरीक्षक,रेलवेज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।
महानिदेशक, रेलवेज,
उत्तर प्रदेश, लखन।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

उत्तर प्रदेश आवास एक्ट मई, 1997 को अधिनियमित हुए लगभग चार माह हो गये हैं, परन्तु अभी तक उसका कार्यान्वयन प्रारम्भ ही नही हुआ है और एक ही एफ0आई0आर0 दर्ज होने की सूचना प्राप्त नही हुई है।

यह आवश्यक है कि अधिनियम की मूल प्रति प्रत्येक नगर क्षेत्र के थानाध्यक्षों को इस निर्देश के साथ भज दी जाये कि उसमें इंगित अपनी जिम्मेदारी को पढ़कर/समझकर उसका भलीभांति निर्वहन कर सकें। उनका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया जाय कि इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि वे अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नही करते तो उनके उपर आवास अधिनियम की धारा–26–क के अन्तग्रत अभियोजना चलाया जा सकता है और दोष सिद्ध पाये जाने पर दस हजार रूपया जुर्माना या एक वर्ष का कारावास हो सकता है। आवास सचिव इस विषय में प्र्याप्त संख्या में अधिनियम की प्रति प्रिन्ट कराकर अपर महानिदेशक, अपराध को उपलब्ध करायेंगे और अपर महानिदेशक, अपराध प्रत्येक प्रति के साथ पुलिस महानिदेशक की ओर से विस्तृत निर्देश की एक प्रति अधिनियम के साथ संलग्न करके सभी नगररीय थानाध्यक्षों को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित कर देंगे। पुलि महानिदेशक की ओर से जो निर्देश निर्गत किये जाये उनमें निम्नलिखित तत्वों को शासमिल कर लिया जाये।

इस अधिनियम के अन्तर्गत थानाध्यक्षों का स्पष्ट उत्तरदायित्व इस प्रकार होगा :–

1. सार्वजनिक मार्ग, फूटपाथ और सार्वजनिक पार्कों मेंयदि अतिक्रमण होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी थानाध्यक्ष पर होगी। अतिक्रमण को हटाने ओर यदि अतिक्रमण हो तो इसमें हस्तक्षेप करके निर्माण को रूकवाने और उसको भौतिक रूप से हटवाने के लिए स्थानीय निकाय आदि के अधिकारियों उसे सम्पर्क करने का उत्तरदायित्व थानाध्यक्ष का होगा।
2. प्रत्येक नगरीय थाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर रात्य सरकार अथवा भारत सरकार की जो सम्पत्ति हे उसकी सुरक्षा के विषय में थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सीधे नहीं होगी पर यदि अमुक राज्य सरकार के विभाग या भारत सरकार के विभाग की ओर से उनकी अपनी सम्पत्ति पर अनाधिकार अतिक्रमण की शिकायत थाने में दर्ज कराई जाती है तो थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायत सुरन्त दर्ज की जाये और उस पर त्वरित प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्तानुसार निर्देश निर्गत कर दिये जायें।

भवदीय,

आर0आर0 शाह
प्रमुख सचिव
गृह विभाग, उ0प्र0 शासन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव,गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, माननीय नगर विकास मंत्री जी।

आर0आर0 शाह
प्रमुख सचिव
गृह विभाग, उ0प्र0 शासन
30/09/97

संख्याः 43/9–आ–3–98–12 काम्प/98

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण।
2. समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण।
3. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 9 जनवरी, 1998

विषकः सड़क के फुटपाथों, नालियों पर से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

भूस्वामियों द्वारा सड़कों के फुटपाथ पर मिटटी डालकर उंचा करके उन्हें घेरने तथा उनके किनारे बरसाती पानी की निकासी हेतु बनी नालियों को मिटटी से भरकर,उनमें फूल पौधें लगाने एवं निजी उपयोग में लाने की प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही हे जिसका सबसे बुरा असर सड़कों के मध्य में स्थित डामर की सतह पर पड़ रहा है।

स्थिति यह है कि बरसाती पानी की निकासी के लिये बनायी गयी नालियां बन्द होने जाने व फुटपाथों के लैवेल भू–स्वामियों द्वारा मिटटी भरकर ऊंचा कर देने के कारण बरसाती पानी अब सड़कों के बीच से डामर के ऊपर से बहता है जिससे सड़कों का सब–ग्रड दलदला हो जाता है तथा टैफिक चलने पर अच्छी से अच्छी सड़क भी एक आध सप्ताह में ही टूटने लगती है। अतः सड़कों की रक्षा के लिये ऐसे अतिक्रमणों मलवे/मिटटी को शीर्ष प्राथमिकता पर हटाना आवाश्यक हो गया है जिसके फलस्वरूप सड़क पर पानी एकत्र होता है तथा नालियों में पानी नहीं जा पाता है अथवा नाली में बहाव अवैध होता है। इस प्रकार के अतिक्रमणों को हटाने में चूंकि किसी व्यक्ति के बेघर होने का प्रश्न नहीं है बल्कि सड़कों पर सुधार होगा। अतः इसके कार्यान्वयन में जनाता का अच्छा सहयोग मिलेगा, यदि उद्देश्यों का उचित रूप से प्रसार किया जाये। इस समस्या के निपटने के लिए निम्न कार्य योजना तैयार की गयी है :–

1. भू–स्वामियों तथा जनमानस की यह स्पष्ट कर दिया जाना आवश्यक है कि सड़क पर इस प्रकार के अतिक्रमण का प्रतिफल यातायात के लिये उपलब्ध सीाान को कम करने के साथ–साथ डामर के ''सरफेस'' आयु को कम करना है उन्हें यह स्पष्ट कर दिया जाना याहिये कि प्राधिकरण/नगर निमम/नगर पालिका उनसे अपने भूखण्डों के सामने की नाली हर समय साफ रखने तथा पटरी को निर्धारित ढाल देकर चौरस रखने की अपेक्षा करता है।

2. इस प्रकार के अतिक्रमण हटाओं अभियान प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बन्धित क्षेत्र के निवासियों को समस्या से अवगत कराते हुएसहयोग की अपेक्षा/अपील की जानी चाहिए। यथासम्भव रेजीडेन्ट संघों को भी इसमें सम्मिलित रखें, जिससे बलपूर्वक इस प्रकार के अतिक्रमण हटाने से पूर्व स्वैच्छिक अनुपालन प्राप्त हो सके।

3. बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने से पूर्व जनप्रतिनिधियों को बैठक कर विश्वास में लेते हुए यथासम्भव सर्वसम्मति से इस अभियान के क्रियान्वयन हेतु नीति तैयार की जाय जिसका उचित रूप से प्रचार एवं प्रसार किया जाय। अभियान को प्रारम्भ करने से लगभग 7 से 10 दिन पूर्व स्थल पर स्थानीय नागरिकों के मार्गदर्शन हेतु मौके पर निशान लगवाये जायें अथवा कुछ सीानों से मिट्टी/मलवा हटाया जाय। जनता को इस बात के लिये प्रेरित किया जाय कि अतिक्रमणकर्ता निर्धारित समय से स्वयं अतिक्रमण हटा ले। यदि निर्धारित समय में स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति के उपरान्त एक अभियान के रूप में योजनाबद्ध तरीके, सड़कों को इस प्रकार साफ कराया जाय कि नाली खुल जाये तथा सड़क पर डामर की सतह पर पानी कदापि न एकत्र हो, की शुरूआत की जाये। बिना किसी व्यक्ति के प्रभाव में आये स्पष्ट नीति अपनाते हुए समस्त अतिक्रमण को हटवाने में आये व्यय को सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता से वसूला जायेगा।

4. इस बात ध्यान में रखा जाय कि अभियान का लक्ष्य अतिक्रमण हटाकर सड़कों के जीवन को बढ़ाना तथा जनमानस को सड़क पर चलने की सुविधा प्रदान करना हे न कि किसी को नुकसान पहुंचाना। इसीलिये यह आवश्यक है कि अतिक्रमण हआने के कार्यक्रम में कोई अचानक (Surprise) न हों, वरन् कार्यक्रम की पूर्व जानकारी हो, जिससे अतिक्रमणकर्ता यदि चाहे तो स्वयं अपना अतिक्रमण हटा सके।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्याः (1)/9–आ–3–98 तददिनांक
प्रतिलिपि :

(1) सचिव, नगर विकास विभाग को इस अनुरोध से प्रेषित है कि स्थानीय नगर निकाय को भी समुचित निर्देश देने का कष्ट करें।
(2) आवास बन्धु गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पी0एन0 सिंह
अनु सचिव